प्रेस नोट दिनांक 19.08.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त को थाना कुण्डा पुलिस ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त अनुराग मौर्य को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक दुर्गेश सिंह मय हमराह का0 मन्दीप सिंह द्वारा थाना क्षेत्र में भ्रमण/देखभाल क्षेत्र एवं अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अनुराग मौर्य करेंटी रेलवे क्रासिंग के पास खड़ा है तथा कहीं जाने की फिराक में है।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को देखकर अभियुक्त भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक घेराबंदी एवं दबिश देकर कुण्डा-करेंटी रोड, करेंटी रेलवे क्रासिंग के पास से पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम अनुराग मौर्य पुत्र राजबहादुर मौर्य, निवासी ग्राम मनगढ़, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष बताया। अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान प्रकाश में आया वांछित अभियुक्त है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अनुराग मौर्य पुत्र राजबहादुर मौर्य, निवासी ग्राम मनगढ़, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 27 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दुर्गेश सिंह मय हमराह का0 मन्दीप सिंह थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना पट्टी पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने, गाली-गलौज, जान-माल की धमकी एवं मारपीट के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 14.08.2026 को वादी निवासी ग्राम सिरनाथपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना पट्टी पर प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त अभिषेक पाठक उर्फ पिन्टू द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 22 वर्ष, को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए गए तथा दिनांक 10.08.2026 को मिलने के लिए बुलाकर अभियुक्त अभिषेक पाठक एवं उसके साथ आए संजय गुप्ता व अरूण द्वारा गाली-गलौज एवं जान-माल की धमकी देते हुए मारपीट की गई।प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना पट्टी पर अन्तर्गत धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम अभिषेक पाठक उर्फ पिन्टू, संजय गुप्ता एवं अरुण उर्फ सोनू उपाध्याय पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रदीप सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में थाना पट्टी के उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह हे0का0 जुबैर खां को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अभिषेक पाठक उर्फ पिन्टू उपाध्यायपुर चौराहा नहर पुलिया के पास खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना नाम अभिषेक पाठक उर्फ पिन्टू पुत्र त्रिवेणी प्रसाद पाठक, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम सिरनाथपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अभिषेक पाठक उर्फ पिन्टू पुत्र त्रिवेणी प्रसाद पाठक, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम सिरनाथपुर, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह हे0का0 जुबैर खां, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 393/2025 में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी रानीगंज के नेतृत्व में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 393/2025, धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
थाना रानीगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 393/2025, धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना रानीगंज पुलिस द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी एवं दबिश की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी क्रम में उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का0 रामकिशन व रि0का0 विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग एवं वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजकुमार उर्फ राजा अपने घर शाहपुर से रानीगंज की ओर पक्की सड़क से आ रहा है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर ग्राम बरहदा नहर पुलिया से पहले अभियुक्त को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर उसने अपना नाम राजकुमार उर्फ राजा पुत्र विजय कुमार उर्फ लल्लू, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़ बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. राजकुमार उर्फ राजा पुत्र विजय कुमार उर्फ लल्लू, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

अभियोग का विवरण-
मु0अ0सं0 393/2025 धारा 191(2)/115(2)/352/351(3)/117(3) बीएनएस
थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का0 रामकिशन, रि0का0 विष्णु कुमार गुप्ता थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा "मारपीट एवं हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा दोनों वांछित अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत गोपालपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया-कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी व क्षेत्राधिकारी पट्टी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री विजय कांत सत्यार्थी के नेतृत्व में म0उ0नि0 सारिका साहू मय हमराह रि0म0का0 संध्या बिन्द, हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा व का0 जगदीश प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र/ रोकथाम जुर्म जरायम/ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्तों के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 37/2026 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352 बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तगण 1. रोहन यादव पुत्र आदेश यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ 2. नीरज गौड़ पुत्र मुन्ना गौड़ उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र मुन्ना गौड़ निवासी ग्राम दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत गोपालपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1. रोहन यादव पुत्र आदेश यादव उम्र करीब 21 वर्ष निवासी ग्राम दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. नीरज गौड़ पुत्र मुन्ना गौड़ उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र मुन्ना गौड़ निवासी ग्राम दिलीपपुर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

सम्बन्धित अभियोग-
मु0अ0सं0 37/2026 धारा 3(5)/115(2)/109(1)/352 बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
म0उ0नि0 सारिका साहू मय हमराह रि0म0का0 संध्या बिन्द, हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

कुण्डा थाना, जनपद प्रतापगढ़

साइबर थाना प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 02 अभियुक्तों को थाना कुण्डा क्षेत्रातंर्गत किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन, 03 अदद सिम एवं 01 अदद वैगनार कार बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी/गेमिंग गतिविधियों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में साइबर थाना प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा थाना कुण्डा पर पंजीकृत ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित अभियोग में प्रकाश में आए 02 अभियुक्त विनोद पोद्दार एवं दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से 03 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन, 03 अदद सिम कार्ड एवं 01 अदद वैगनार कार बरामद की गई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 18.08.2026 को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 307/2026 से संबंधित संदिग्ध अभियुक्त विनोद पोद्दार के थाना कुण्डा पर उपस्थित होने की सूचना साइबर थाना प्रतापगढ़ पुलिस को प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर निरीक्षक दिवाकर सिंह मय हमराह उ0नि0 मोहम्मद नदीम खान, का0 सत्येंद्र यादव एवं चालक का0 ज्वाला सिंह द्वारा थाना कुण्डा पहुंचकर संदिग्ध अभियुक्त विनोद पोद्दार से पूछताछ की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी पैनल संचालित करने तथा अपने सहयोगी दीपक कुमार के भी इस कार्य में संलिप्त होने की जानकारी दी गई।

गिरफ्तारी का विवरण-

अभियुक्त विनोद पोद्दार की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत चाय की दुकान के पास से उसके सहयोगी दीपक कुमार को पकड़ा गया। पूछताछ एवं तलाशी के दौरान अभियुक्त दीपक कुमार के कब्जे से 01 अदद VIVO मोबाइल फोन तथा अभियुक्त विनोद पोद्दार के बताए अनुसार उसके 02 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए। मौके पर एक सफेद रंग की वैगनार कार बिना नम्बर प्लेट के भी बरामद हुई, जिसे अभियुक्त दीपक कुमार द्वारा अपना बताया गया। दोनों अभियुक्तों को मय बरामदगी थाना कुण्डा लाया गया तथा नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. विनोद पोद्दार पुत्र फुलेन पोद्दार, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी हाउस नं0 2932/01 गली नं0 06 जवाहर कालोनी NIT फरीदाबाद, हरियाणा।

2. दीपक कुमार पुत्र राम किशन, उम्र करीब 40 वर्ष, निवासी हाउस नं0 5863/70 संजय कालोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद, हरियाणा।

बरामदगी का विवरण-

03 अदद एंड्रायड मोबाइल फोन।

03 अदद सिम कार्ड।

01 अदद वैगनार कार, बिना नम्बर प्लेट, चेचिस नं0 MAZJMT31SMB437123 एवं इंजन नं0 K10BN8494348।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त विनोद पोद्दार द्वारा बताया गया कि वह ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी का पैनल चलाता है तथा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस कार्य को संचालित करता है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी पैनल के संचालन के लिए **WhatsApp** ग्रुप का प्रयोग किया जाता था तथा संबंधित जानकारी एवं चैट उसके मोबाइल फोन में उपलब्ध है। अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगी दीपक कुमार को भी ऑनलाइन गेमिंग/सट्टेबाजी का पैनल उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई। अभियुक्त दीपक कुमार द्वारा भी विनोद पोद्दार से ऑनलाइन/गेमिंग सट्टेबाजी का पैनल प्राप्त कर अपने सहयोगियों के साथ संचालित करना बताया गया।

पूर्व में की गई कार्यवाही-

उक्त प्रकरण में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा पूर्व में ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रकरण में प्रकाश में आए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सम्बन्धित अभियोग-

मु0अ0सं0 307/2026 धारा 319(2)/318(4)/338/336(3)/340(2)/112(2)/61(2)/3(5) बीएनएस, धारा 66D आई0टी0 एक्ट तथा धारा 9(1) व 9(2) Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक दिवाकर सिंह मय हमराह उ0नि0 मोहम्मद नदीम खान, का0 सत्येंद्र यादव, चालक का0 ज्वाला सिंह, साइबर थाना, जनपद प्रतापगढ़।

आमजन से अपील-

प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी, अवैध ऑनलाइन गेमिंग एवं शीघ्र धन कमाने का प्रलोभन देने वाले किसी भी ऐप/वेबसाइट के झांसे में न आएं। किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक खाता, पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, OTP, PIN अथवा बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी उपलब्ध न कराएं। अपने बैंक खाते का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने की अनुमति न दें। ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें।

प्रतापगढ़ पुलिस अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है।

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा चोरी के 03 मोबाइल फोन एवं ₹2,290/- नकदी के साथ 02 महिला अभियुक्ताएं गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के 03 अदद मोबाइल फोन, ₹2,290/- नकद बरामद किया गया-

प्रतापगढ़।
थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना के संबंध में प्राप्त सूचना एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान संदिग्ध अभियुक्ताओं की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 19.08.2026 को थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन एवं देखभाल क्षेत्र के दौरान 02 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं के कब्जे से चोरी के 03 अदद मोबाइल फोन एवं ₹2,290/- नकद बरामद हुए।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना देल्हूपुर के उ0नि0 मारकण्डेय सिंह यादव मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम यादव, हे0का0 विनोद सिंह, म0का0 शालिनी यादव व म0का0 अमृता यादव द्वारा श्रावण मास के दृष्टिगत देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वस्तु/वाहन एवं रोकथाम जुर्म-जरायम के दौरान मु0अ0सं0 132/2026 धारा 35(1) बीएनएसएस व 317(2) बीएनएस से संबंधित 02 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ताओं के कब्जे से 03 अदद चोरी के मोबाइल फोन, ₹2,290/- नकद बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-
02 अभियुक्ता ।

बरामदगी-
1. चोरी के 03 अदद मोबाइल फोन।
2. ₹2,290/- नकद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 मारकण्डेय सिंह यादव मय हमराह उ0नि0 राधेश्याम यादव, हे0का0 विनोद सिंह, म0का0 शालिनी यादव व म0का0 अमृता यादव, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

पारिवारिक विवाद में सगे साले की गोली मारकर हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल, 19 जिन्दा व 03 खोखा कारतूस तथा बुलेट मोटरसाइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त कपिलदेव यादव को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 18.08.2026 को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मदाफरपुर में पारिवारिक विवाद के चलते कपिलदेव यादव निवासी ग्राम खानापुर, थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी द्वारा अपने सगे साले देवेन्द्र यादव को अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार दी गई थी, जिससे उपचार हेतु अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। वादी भूपेन्द्र यादव की तहरीर के आधार पर थाना कोहंडौर पर मु0अ0सं0 168/2026 धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया-कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 सरोज अमन आदित्य, का0 सूर्यकिरण यादव, म0का0 प्रियंका वर्मा एवं चालक का0 मनीष कुमार यादव द्वारा थाना कोहंडौर के मु0अ0सं0 168/2026 धारा 103(1) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त कपिलदेव यादव पुत्र रामसुन्दर यादव निवासी ग्राम खानापुर, थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी, हाल पता अहिमाने जोगीबीर, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब 40 वर्ष को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ से उपचार उपरान्त डिस्चार्ज होने के बाद आज दिनांक 19.08.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-
घटना में प्रयुक्त 01 अदद लाइसेंसी पिस्टल .32 बोर, 19 अदद जिन्दा कारतूस, 03 अदद खोखा कारतूस तथा 01 अदद रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 168/2026 धारा 103(1) बीएनएस एवं 27/30 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कपिलदेव यादव पुत्र रामसुन्दर यादव, निवासी ग्राम खानापुर, थाना पीपरपुर, जनपद अमेठी, हाल पता अहिमाने जोगीबीर, थाना कोतवाली नगर, जनपद सुल्तानपुर, उम्र करीब **40** वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1- **01** अदद लाइसेंसी पिस्टल **.32** बोर

2- **19** अदद जिन्दा कारतूस

3- **03** अदद खोखा कारतूस

4- **01** अदद रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का**0** सरोज अमन आदित्य, का**0** सूर्यकिरण यादव, म**0**का**0** प्रियंका वर्मा एवं चालक का**0** मनीष कुमार यादव, थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़।